महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 उत्तराखण्ड

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

ई–मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाषः 0135–2608763, फैक्सः 0135–2608746

पत्रांक : 23प / आई0डी0एस0पी0 / 2020 / 487 दिनांक : 30 जनवरी, 2020

सेवा में,

1. अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा संघ देहरादून।
2. प्रदेश सचिव, भारतीय चिकित्सा संघ उत्तराखण्ड।
3. अध्यक्ष, Indian Academy of Pediatric ।
4. प्रधानाचार्य, दून मेडिकल कालेज देहरादून।
5. चिकित्सा अधीक्षक एच0आई0एच0टी0 जौली ग्रान्ट / एस0एम0आई चिकित्सालय / मैक्स चिकित्सालय / सिनर्जी चिकित्सालय / कैलाश चिकित्सालय / सी0एम0आई0।

विषय : कोरोना वायरस के प्रभावकारी रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु दिनांक 31 जनवरी 2020 को अपरान्ह 3:00 बजे से आयोजित बैठक विषयक।

महोदय / महोदया,

जैसा की आप विदित हैं कि वर्तमान में भारत के पडोसी देश चीन में कोरोना वायरस novel coronavirus (nCoV) संक्रमण प्रसारित हो रहा है व नेपाल देश में कोरोना वायरस से संक्रमित एक रोगी की पुष्टि हुई है, चुंकि उत्तराखण्ड राज्य चीन एवं नेपाल दोनों ही देशों से अपनी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, अतः उत्तराखण्ड राज्य में भी कोरोना वायरस के संक्रमण की सम्भावना हो सकती है इस हेतु राज्य में सतर्कता बरती जा रही है। उत्तराखण्ड राज्य में कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु स्वास्थ्य विभाग के साथ निजी चिकित्सालयों की भी भागीदारी अति महत्वपूर्ण है।

उपरोक्त के दृष्टिगत कोरोना वायरस के प्रभावकारी रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 31 जनवरी 2020 को अपरान्ह 3:00 बजे से स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय परिचर्चा हाल द्वितीय तल में एक बैठक आहूत की गई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने चिकित्सालय से सम्बन्धित चिकित्सक के साथ उक्त तिथि व समय पर उक्त बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(डा0 अमिता उप्रेती)
महानिदेशक

पत्रांक : 23प / आई0डी0एस0पी0 / 2020 / 488

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित :

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रभारी सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड।
4. प्रभारी अधिकारी आई0डी0एस0पी0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड।

(डा0 अमिता उप्रेती)
महानिदेशक